न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 11/2019 प्रार्थना पत्र 14(4)

1. धारासिंह पुत्र रामदयाल जाति गुर्जर निवासी श्यालावास कलां तहसील बसवा जिला दौसा।

प्रार्थी

बनाम

1. भगवान सिंह पुत्र नाथू सिंह जाति गुर्जर निवासी श्यालावास कलां तहसील बसवा जिला दौसा।
2. भू आवंटन सलाहकार समिति एवं उपजिला अधिकारी दौसा।
3. तहसीलदार तहसील बसवा जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत निया 14(4) आवंटन रूल्स विरूद्ध आवंटन आदेश दिनांक 16.6.1972 आवंटन समिति एवं उपजिला अधिकारी दौसा जिसके तहत अप्रार्थी संख्या 1 को ग्राम श्यालावास कलां तहसील बसवा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 200/1/6 में से 5 बीघा भूमि का अवैध आवंटन कर दिया गया)

उपस्थिति : श्री विनोद कुमार विजय अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
: श्री विजेन्द्र सिंह चेची अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 उपस्थित।

—:निर्णयः— दिनांकः 13.12.2023

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र 14(4) के तथ्य इस प्रकार से है कि आवंटन सलाहकार समिति एवं उपजिलाधिकारी दौसा ने आवंटन रूल्स की अवहेलना करते हुये उद्घोषणा जारी किये बिना तथा अप्रार्थी संख्या 1 वरवक्त आवंटन योग्य नहीं होने के बावजूद भी विधि विरूद्ध तरीके से ग्राम श्यालावास कलां तहसील बसवा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 200/1/6 में से 5 बीघा भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 भगवानसिंह पुत्र नाथू सिंह को दिनांक 16.06.1972 को आवंटन कर दिया। उक्त आवंटन आदेश दिनांक 16.06.1972 के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र 14(4) पेश होने पर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं प्रकरण से सम्बन्धित मूल आवंटन अभिलेख तलब किया गया। बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 16.06.1972 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम श्यालावास कलां तहसील बसवा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 200/1/6 में से 5 बीघा भूमि का आवंटन अप्रार्थी संख्या भगवानसिंह पुत्र नाथूसिंह जाति गुर्जर निवासी श्यालावास कलां तहसील बसवा को किया गया है। आवंटन फार्म पर भगवान सिंह के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी नहीं है। प्रार्थना पत्र अधूरा है। बिना हस्ताक्षर के आवेदन नहीं माना जा सकता है, और अधूरे आवेदन पत्र पर भूमि आवंटन नहीं किया जा सकता है। उक्त आवंटन का नामान्तरकरण एल. आर. एक्ट धारा 135 के तहत केवल तहसीलदार ही तस्दीक कर सकता था, जबकि उक्त आवंटन का नामान्तरकरण सरपंच द्वारा तस्दीक किया गया है। सरपंच इस आवंटन का नामान्तरकरण तस्दीक करने हेतु प्राधिकृत नहीं था। उक्त आवंटन भगवान सिंह को श्यालावास कलां का निवासी बताकर किया गया है, जबकि श्यालावास कलां में भगवान सिंह नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। साक्ष्य के तौर पर प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र दिनांक 21.10.2019 की छायाप्रति संलग्न है। जब ग्राम पंचायत श्यालावास कलां में भगवान सिंह नाम का व्यक्ति नहीं है तो भगवान सिंह

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

को गलत तरीके से उक्त आवंटन किया गया है। भगवान सिंह श्यालावास का नहीं है, इसका प्रमाण इसके वकालतनामे में लिखा गया पता भी है, जिसमें भगवान सिंह का पता बाढबगीची तहसील बसवा अंकित है। भगवान सिंह के पास बाढ बगीची में पूर्व से ही खातेदारी भूमि थी फिर भी उक्त भूमि काआवंटन नियमानुसार गलत किया गया है। खसरा नम्बर 200/1/6 में से भूमि आवंटन किया गया है। उक्त भूमि राजकीय सिवायचक भूमि नहीं थी। उक्त भूमि सहकारी समिति के नाम दर्ज भूमि थी। जिसका प्रमाण संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2027–32 प्रार्थना पत्र के संलग्न है। कानूनन सहकारी समिति की भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है। उक्त भूमि आवंटन योग्य भूमि नहीं थी, बल्कि टीले एवं नालो की भूमि थी, जिसके सम्बन्ध में मिलान क्षेत्रफल के अनुसार वर्तमान नम्बर 20 पूर्व के खसरा नम्बर 201/1/6 से बना है। गिरदावरी सम्वत 2072–75 में भूमि पुख्ता पडत एवं टीले नाले के रूप में दर्ज है, अर्थात् उक्त भूमि टीले एवं नाले की भूमि है जिसको कृषि योग्य सुधार करके कृषि नहीं की जा रही है। भगवान सिंह राजकीय कर्मचारी था जिसका प्रमाण आवंटी के द्वारा पेश किया गया है। आवंटी ने अपना पेन्शन पी.पी.ओ. पेश किया है। जिसके अनुसार यह वन विभाग का कार्मिक था। आवंटन के समय वह राजकीय कार्मिक था। राजकीय कार्मिक को राजकीय भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है। उक्त अवैध रूप से किये गये आवंटन को निरस्त फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब बहस में निवेदन किया गया कि प्रार्थी धारा सिंह ने आवंटन आदेश दिनांक 16.06.1972 के विरूद्ध असत्य एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर 47 वर्ष पश्चात् यह प्रार्थना पत्र 14(4) प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी वर्तमान आराजी खसरा नम्बर 20 रकबा 1.26 है. भूमि का रिकाडेर्ड खातेदार है तथा आवंटन से लगातार काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। जिसकी गिरदावरी संलग्न है। आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा नियमानुसार मजमे आम में आवंटन की कार्यवाही की गई है। पटवारी हल्का ने अपने रिपोर्ट में आवंटन के सम्बन्ध में उद्घोषणा होना अंकित किया है। प्रार्थी का यह भी कथन असत्य है कि वरवक्त आवंटन अप्रार्थी सरकारी कर्मचारी था। पत्रावली में संलग्न पेंशन पी.पी.ओ. के अनुसार प्रार्थी की वन विभाग में नियुक्ति दिनांक 24.07.1976 को हुई थी। जबकि आवंटन दिनांक 16.06.1972 को ही किया जा चुका था। आवंटन के समय प्रार्थी सरकारी कर्मचारी नहीं था। आवेदन फार्म किसी के द्वारा भी भरा जा सकता है। आवंटन फार्म पर अप्रार्थी भगवान सिंह के स्वयं के हस्ताक्षर है। प्रार्थी का यह कथन भी असत्य है कि आवंटन भूमि नले की भूमि थी। जबकि रिकॉर्ड में सिवायचक भूमि दर्ज थी तथा सिवायचक भूमि का ही आवंटन किया गया है। आवंटन कमेटी को सिवायचक भूमि का कानूनन अधिकार था। अप्रार्थी ने आवंटित भूमि को उपजाऊ बनाने व काबिल काश्त करने में लाखों रूपये खर्च किये है तथा वर्तमान में उक्त भूमि पर कमरा व पाटोल बनाकर तथा सरसों व चने की फसल कर रखी है। आवंटन के समय भूमि खाली थी तथा खाली भूमि का ही आवंटन किया गया है। प्रार्थी धारासिंह का उक्त आवंटित भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है। आवंटन के समय बाढबगीची ग्राम पंचायत श्यालावास के अधीन ही आती थी। पत्रावली में संलग्न पंचायत मतदाता सूची 1986 में ग्राम का नाम बाढबगीची पंचायत सर्किल का नाम श्यालावास कलां अंकित है। जिसमें क्रम संख्या 54 पर भगवान सिंह पुत्र नाथू सिंह का नाम अंकित है। जिससे प्रार्थी का यह कथन असत्य साबित होता है कि आवंटी श्यालावास कलां का निवासी नहीं था। खातेदारी अधिकार मिलने के बाद आवंटन नियम लागू नहीं होते है। नियम 14(4) के अन्तर्गत गैर खातेदारी हक तक ही आवंटन निरस्त किया जा सकता है। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत आवंटी को सभी प्रकार के अधिकार जो एक खातेदार को होना चाहिये वह मिल जाते है। प्रार्थी द्वारा इतने लम्बे अरसे पश्चात् उक्त प्रार्थना पत्र 14(4) प्रस्तुत किया गया है। जो केवल मात्र प्रार्थी को हैरान परेशान करने की नीयत से पेश किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज फरमावे। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा न्यायिक दृष्टान्त **RRT 2016-17 (SUPP Page 304)** आम जनता बनाम हाकिमपुरा व अन्य बनाम प्रकाश व अन्य तथा **RRD 1986 (SUPP Page 137)** परथा बनाम पृथ्वीराज पेश किये गये है।

प्रार्थना पत्र 14(4) प्रकरण संख्या : 11/2019

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में शामिल दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत 2027–32 में खसरा नम्बर 200/1/6 सहकारी समिति के नाम दर्ज भूमि है, जब उक्त भूमि पूर्व से ही किसी संस्था/समिति के नाम दर्ज है तो उसे खाली काबिल काश्त भूमि मानकर आवंटन किया जाना नियमानुकूल नहीं था।

इसी प्रकार वरवक्त आवंटन आवेदक भगवान सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी के स्थान पर आवेदक भगवानसिंह के हस्ताक्षर नहीं है। तस्दीक के स्थान पर आवेदक भगवानसिंह के हस्ताक्षर है परन्तु तस्दीक के पैरा के समस्त कॉलम खाली है। जब स्वयं आवेदक के आवश्यक स्थान पर हस्ताक्षर नहीं है तथा तस्दीक के पैरा के कॉलम खाली है तो ऐसे अधूरे त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र पर प्रक्रिया को पूर्ण करना नियमानुकूल नहीं था।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर ग्राम श्यालावास कलां तहसील बसवा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 200/1/6 में से 5 बीघा भूमि का अप्रार्थी भगवानसिंह पुत्र नाथूसिंह जाति गुर्जर निवासी श्यालावास कलां तहसील बसवा जिला दौसा को किया गया आवंटन आदेश दिनांक 16.06.1972 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति सम्बन्धित तहसीलदार को भिजवाई जावे। जिला अभिलेखागार दौसा से प्राप्त मूल आवंटन अभिलेख भिजवाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजकुमार कस्वा)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 13.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजकुमार कस्वा)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा